थाईलैंड का संविधान

ISBN: 978-81-685073-6-4

AUTHOR

ADV.GANESH SHRIRANG SATARKAR

(LL.M)

ADVOCATE, BOMBAY HIGH COURT

1. **BOOK TITLE : थाईलैंड का संविधान**
2. **LANGUAGE:** HINDHI
3. **ISBN: 978-81-685073-6-4**
4. **EDITION:** FIRST EDITION
5. **AUTHOR: Mr. GANESH SHRIRANG SATARKAR**
6. **PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY** :-
7. **M/s. INDIAN FARMER AGRO CO.–** SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. **CONTACT DETAILS:**
   MOBILE: +91 7066766607 **EMAIL:** GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. **YEAR OF PUBLICATION:** 2026
10. **FORMAT:** SINGLE-COMPONENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
11. **PRICE (IN INDIA):** ₹ 10 /- (**Printed and Published in India)**

COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.
Disclaimer:
This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

थाईलैंड का संविधान

प्रस्तावना (Preamble)

सद्गुण की स्थापना हो। आज 6 अप्रैल 2560 (2017) को, महामहिम राजा महा वजिरालोंगकोर्न ने यह घोषित किया कि 1932 से थाईलैंड ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें राजा राज्य के प्रमुख हैं।

हालाँकि, कई बार संविधान में परिवर्तन हुए, लेकिन देश में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग और प्रशासनिक कमजोरियाँ बनी रहीं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक समझा गया कि:

- शासन प्रणाली में सुधार किया जाए
- कानून का पालन सख्ती से हो
- नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हों
- भ्रष्टाचार समाप्त किया जाए
- राज्य संस्थाओं को मजबूत किया जाए

जनमत संग्रह के बाद जनता ने इस संविधान को स्वीकार किया और इसे लागू किया गया।

अध्याय I: सामान्य प्रावधान (Sections 1–5)

□ धारा 1

थाईलैंड एक एकीकृत और अविभाज्य राज्य है।

□ धारा 2

थाईलैंड में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें राजा राज्य के प्रमुख हैं।

□ धारा 3

सार्वभौमिक शक्ति जनता में निहित है।

राजा इस शक्ति का प्रयोग निम्न संस्थाओं के माध्यम से करते हैं:

- राष्ट्रीय विधानसभा
- मंत्रिपरिषद
- न्यायालय

सभी संस्थाएँ संविधान और कानून के अनुसार कार्य करेंगी।

https://www.constituteproject.org/countries/Asia/Thailand

□ धारा 4

मानव गरिमा, अधिकार, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा की जाएगी।

□ धारा 5

संविधान सर्वोच्च कानून है।

यदि कोई कानून इसके विरुद्ध है, तो वह अमान्य होगा।

अध्याय II: राजा (Sections 6–24)

□ धारा 6

राजा सर्वोच्च सम्मानित पद पर होते हैं और उन्हें किसी भी आरोप या कार्यवाही का विषय नहीं बनाया जा सकता।

□ धारा 7

राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी और सभी धर्मों के संरक्षक होते हैं।

□ धारा 8

राजा थाई सशस्त्र बलों के सर्वोच्च प्रमुख होते हैं।

□ धारा 9

राजा को उपाधियाँ देने और वापस लेने का अधिकार है।

□ धारा 10

राजा प्रिवी काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं।

□ धारा 11

प्रिवी काउंसिल के सदस्य राजा की इच्छा से नियुक्त और हटाए जाते हैं।

□ धारा 12

प्रिवी काउंसिल के सदस्य किसी राजनीतिक पद पर नहीं हो सकते।

□ धारा 13

प्रिवी काउंसिल सदस्य को शपथ लेनी होती है कि वह राजा और संविधान के प्रति निष्ठावान रहेगा।

□ धारा 14

प्रिवी काउंसिल सदस्य पद छोड़ सकता है:

- मृत्यु
- इस्तीफा
- या राजा द्वारा हटाया जाना

 धारा 15

राजा को शाही परिवार के कर्मचारियों की नियुक्ति और हटाने का अधिकार है।

 धारा 16–18

यदि राजा अनुपस्थित हों, तो एक **रीजेंट (Regent)** नियुक्त किया जाता है जो उनकी जगह कार्य करता है।

 धारा 19

रीजेंट को भी शपथ लेनी होती है।

 धारा 20–22

सिंहासन के उत्तराधिकार के नियम कानून के अनुसार निर्धारित होते हैं।

 धारा 23–24

विशेष परिस्थितियों में प्रिवी काउंसिल निर्णय ले सकती है।

 अध्याय III: नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता

(Sections 25–49)

 धारा 25

प्रत्येक व्यक्ति को वह करने का अधिकार है जो कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है।

 धारा 26

अधिकारों पर प्रतिबंध केवल आवश्यक परिस्थितियों में ही लगाया जा सकता है।

 धारा 27

सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं।

 धारा 28

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित है।

 धारा 29

कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक अदालत उसे दोषी न ठहराए।

 धारा 30

जबर्दस्ती श्रम नहीं कराया जाएगा (कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर)।

 धारा 31

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है।

 धारा 32

व्यक्तिगत गोपनीयता और प्रतिष्ठा की रक्षा की जाएगी।

 धारा 33

घर की स्वतंत्रता – बिना अनुमति प्रवेश नहीं किया जा सकता।

 धारा 34

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (speech, writing, media) का अधिकार।

 धारा 35

मीडिया को स्वतंत्रता प्राप्त है।

 धारा 36

संचार की स्वतंत्रता।

 धारा 37

संपत्ति का अधिकार।

 धारा 38

आवागमन और निवास की स्वतंत्रता।

 धारा 39

किसी नागरिक को देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता।

 धारा 40

रोजगार चुनने की स्वतंत्रता।

 धारा 41

सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।

 धारा 42

संगठन बनाने का अधिकार।

 धारा 43

संस्कृति, पर्यावरण और समुदाय से जुड़े अधिकार।

 धारा 44

शांतिपूर्ण सभा का अधिकार।

 धारा 45

राजनीतिक दल बनाने का अधिकार।

□ धारा 46

उपभोक्ता अधिकार।

□ धारा 47

स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार।

□ धारा 48

महिलाओं, बुजुर्गों और गरीबों के अधिकार।

□ धारा 49

लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास अपराध है।

अध्याय VII: राष्ट्रीय विधानसभा (The National Assembly)

थाईलैंड की विधायिका को **राष्ट्रीय विधानसभा (Parliament)** कहा जाता है, जिसमें दो सदन होते हैं:

- प्रतिनिधि सभा (House of Representatives)
- सीनेट (Senate)

□ भाग 1: सामान्य प्रावधान

□ प्रमुख विशेषताएँ:

- संसद कानून बनाती है
- सरकार को नियंत्रित करती है
- जनता का प्रतिनिधित्व करती है

भाग 2: प्रतिनिधि सभा (House of Representatives)

□ संरचना:

- कुल 500 सदस्य
    - 350 सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से
    - 150 सदस्य पार्टी सूची से

□ कार्यकाल:

- 4 वर्ष

□ योग्यता:

- थाई नागरिक होना

- न्यूनतम आयु (सामान्यतः 25 वर्ष)
- अन्य कानूनी योग्यताएँ

□ शक्तियाँ:

- कानून बनाना
- प्रधानमंत्री का चुनाव
- सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाना
- बजट पारित करना

□ भाग 3: सीनेट (Senate)

□ संरचना:

- 250 सदस्य

□ नियुक्ति:

- नियुक्त (elected नहीं)

□ कार्यकाल:

- 5 वर्ष

□ शक्तियाँ:

- कानूनों की समीक्षा
- संवैधानिक निकायों की नियुक्ति में भागीदारी
- निगरानी (Oversight)

□ भाग 4: दोनों सदनों के लिए सामान्य प्रावधान

- सदस्य स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे
- हितों के टकराव (conflict of interest) से बचना होगा
- नैतिक आचरण आवश्यक है

□ भाग 5: संयुक्त बैठक (Joint Sitting)

दोनों सदन मिलकर कार्य करते हैं जब:

- प्रधानमंत्री का चयन करना हो
- महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्णय लेने हों

https://www.constituteproject.org/countries/Asia/Thailand

□ अध्याय VIII: मंत्रिपरिषद (Council of Ministers / Executive)

□ संरचना:

- प्रधानमंत्री
- मंत्री

□ प्रधानमंत्री (Prime Minister)

चयन:

- संसद द्वारा चुना जाता है

भूमिका:

- सरकार का प्रमुख
- नीतियाँ निर्धारित करना
- प्रशासन चलाना

□ मंत्रिपरिषद

कार्य:

- नीतियों का कार्यान्वयन
- प्रशासनिक निर्णय लेना
- संसद के प्रति उत्तरदायी होना

□ प्रमुख प्रावधान (Sections 158–180 का सार)

□ धारा 158

प्रधानमंत्री संसद द्वारा चुना जाता है।

□ धारा 159

प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएँ निर्धारित हैं।

□ धारा 160

मंत्रियों के लिए नैतिक और कानूनी योग्यताएँ आवश्यक हैं।

□ धारा 161

प्रधानमंत्री और मंत्री पद की शपथ लेते हैं।

https://www.constituteproject.org/countries/Asia/Thailand

 धारा 162

सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।

 धारा 163–165

सरकार नीतियाँ प्रस्तुत करती है और संसद में जवाबदेह रहती है।

 धारा 166–170

मंत्रिपरिषद प्रशासनिक कार्यों को संचालित करती है।

 धारा 171–175

प्रधानमंत्री और मंत्रियों की जवाबदेही तय की जाती है।

 धारा 176–180

पद से हटाने और इस्तीफे से संबंधित नियम निर्धारित हैं।

भाग 4 (अंतिम): न्यायपालिका, स्वतंत्र संस्थाएँ और अन्य प्रावधान

अध्याय IX: न्यायपालिका (Courts)

थाईलैंड में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और कानून के शासन (Rule of Law) के अनुसार कार्य करती है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- न्यायालय स्वतंत्र हैं
- न्यायाधीश निष्पक्ष होते हैं
- न्याय केवल कानून के आधार पर दिया जाता है

न्यायालयों के प्रकार:

1. संवैधानिक न्यायालय (Constitutional Court)

- संविधान की व्याख्या करता है
- कानूनों की वैधता तय करता है

2. सामान्य न्यायालय (Courts of Justice)

- नागरिक और आपराधिक मामलों का निर्णय

3. प्रशासनिक न्यायालय (Administrative Courts)

- सरकारी कार्यों से संबंधित विवाद

https://www.constituteproject.org/countries/Asia/Thailand

4. सैन्य न्यायालय (Military Courts)

- सेना से जुड़े मामलों का निपटारा

न्यायपालिका की शक्तियाँ:

- कानून की व्याख्या
- विवादों का निपटारा
- नागरिक अधिकारों की रक्षा

अध्याय X: स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएँ

(Independent Organs)

ये संस्थाएँ सरकार से स्वतंत्र होती हैं और निगरानी का कार्य करती हैं।

प्रमुख संस्थाएँ:

1. चुनाव आयोग (Election Commission)

- चुनावों का संचालन
- निष्पक्षता सुनिश्चित करना

2. लोकपाल (Ombudsman)

- नागरिकों की शिकायतों की जांच

3. राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (NACC)

- भ्रष्टाचार की जांच

4. राज्य लेखा आयोग (State Audit Commission)

- सरकारी खर्च का ऑडिट

5. मानवाधिकार आयोग (Human Rights Commission)

- मानवाधिकारों की रक्षा

कार्य:

- सरकार की निगरानी
- पारदर्शिता सुनिश्चित करना
- भ्रष्टाचार रोकना

https://www.constituteproject.org/countries/Asia/Thailand

अध्याय XI: अभियोजन और न्याय प्रशासन

□ प्रमुख बिंदु:

- अभियोजन प्रणाली स्वतंत्र है
- न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी
- सभी को न्याय पाने का अधिकार है

अध्याय XII: स्थानीय शासन (Local Government)

□ प्रावधान:

- स्थानीय निकायों को स्वायत्तता दी जाती है
- स्थानीय प्रशासन जनता के निकट होता है
- विकास कार्य स्थानीय स्तर पर किए जाते हैं

अध्याय XIII: राष्ट्रीय सुधार (National Reform)

□ उद्देश्य:

- शासन में सुधार
- सामाजिक और आर्थिक विकास
- भ्रष्टाचार समाप्त करना

अध्याय XIV: राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy)

□ मुख्य बिंदु:

- दीर्घकालिक विकास योजना
- आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता
- सतत विकास (Sustainable Development)

अध्याय XV: संवैधानिक संशोधन (Amendment)

□ प्रक्रिया:

- संसद द्वारा संशोधन प्रस्ताव
- विशेष बहुमत आवश्यक
- कुछ मामलों में जनमत संग्रह आवश्यक

अंतिम सार (Complete Constitution Summary)

इस संविधान की मुख्य विशेषताएँ:

□ 1. लोकतांत्रिक शासन

- जनता सर्वोच्च है
- राजा राज्य प्रमुख हैं

□ 2. अधिकार और स्वतंत्रता

- नागरिकों को व्यापक अधिकार
- समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित

□ 3. कर्तव्य

- नागरिकों और राज्य दोनों के कर्तव्य निर्धारित

□ 4. शक्तियों का विभाजन

- विधायिका
- कार्यपालिका
- न्यायपालिका

□ 5. निगरानी तंत्र

- स्वतंत्र संस्थाएँ
- भ्रष्टाचार विरोध

□ 6. विकास और सुधार

- राष्ट्रीय रणनीति
- सतत विकास

□ निष्कर्ष

यह संविधान एक संतुलित दस्तावेज़ है जिसमें:

- लोकतंत्र
- राजशाही
- नागरिक अधिकार
- सुशासन

सभी को समाहित किया गया है।